भाग 'क'
राजस्व क्षेत्र

अध्याय–1
सामान्य

अध्याय-1

सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर भिन्न राजस्व, राज्य के समनुदेशित विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनरूपी आंकड़े नीचे दर्शाए गए है।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19[1]
1.	**राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व**					
	कर राजस्व	5,940.16	6,695.81	7,039.05	7,107.67	7,575.61[2]
	कर भिन्न राजस्व	2,081.45	1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.04
	कुल	**8,021.61**	**8,532.96**	**8,756.29**	**9,471.52**	**10,405.65**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	2,644.17	3,611.17	4,343.70	4,801.31	5,426.97[3]
	सहायता अनुदान	7,177.67	11,296.35	13,164.35	13,094.23	15,117.66[4]
	कुल	**9,821.84**	**14,907.52**	**17,508.05**	**17,895.54**	**20,544.63**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 व 2)**	**17,843.45**	**23,440.48**	**26,264.34**	**27,367.06**	**30,950.28**
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**45**	**36**	**33**	**35**	**34**

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य वास्तव में राजस्व घाटे में है तथा सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 8,206 करोड़ के राजस्व घाटा अनुदान के हस्तांतरण के बाद हुई प्राप्ति के कारण राजस्व अधिशेष को दर्शा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹ 10,405.65 करोड़)कुल राजस्व प्राप्तियों का 34 *प्रतिशत* था। प्राप्तियों का शेष 66 *प्रतिशत* भारत सरकार के विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय के राज्यांश तथा सहायता अनुदान के रूप में था। 2014-2019 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष राज्य सरकार की उसके स्वयं के संसाधनों से हुई राजस्व प्राप्तियों का *प्रतिशत* 45 से 34 *प्रतिशत* तक गिर गया। 2014-15 से 2018-19 तक राजस्व प्राप्तियों की समग्र प्रवृत्ति चार्ट 1.1 में दर्शाई गई है:

---

1 राज्य सरकार के वित्त लेखे।

2 इसमें मुख्य प्राप्ति शीर्ष 0006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 3,342.68 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

3 विवरण परिशिष्ट 1.1.में दर्शाया गया है।

4 इसमें वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के कारण भारत सरकार से हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त ₹ 2,037 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

चार्ट-1.1

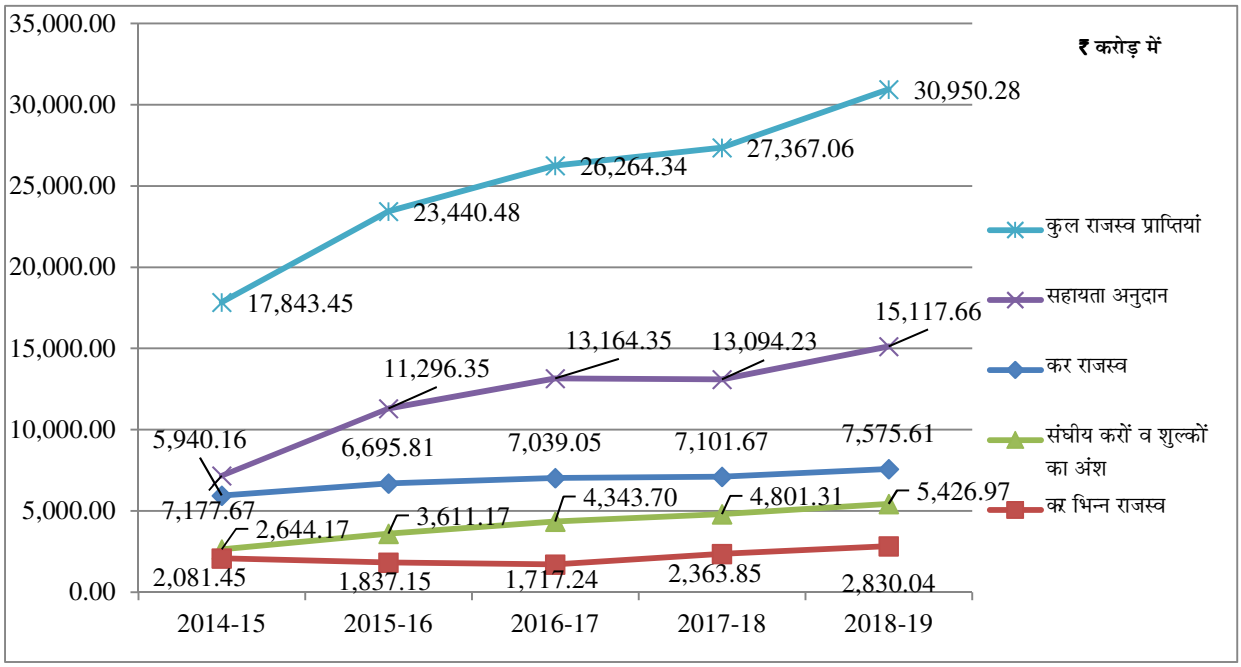

स्रोत: वित्त लेखे

1.1.2 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर राजस्व प्राप्तियां (कुल कर राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)					2018-19 से 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियों के प्रति वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	बिक्री एवं व्यापार पर मूल्य वर्धित कर	3,660.57 (61.62)	3,992.99 (59.63)	4,381.91 (62.25)	2,525.87 (35.53)	1,185.43 (15.64)	-
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर				1,833.16 (25.79)	3,342.68[5] (44.12)	-
2.	राज्य आबकारी	1,044.14 (17.58)	1,131.22 (16.89)	1,307.87 (18.58)	1,311.25 (18.45)	1,481.63 (19.55)	13
3.	मोटर वाहन कर	220.10 (3.71)	317.05 (4.74)	279.58 (3.97)	367.16 (5.17)	408.01 (5.39)	11
4.	स्टाम्प शुल्क	190.58 (3.21)	205.52 (3.07)	209.16 (2.97)	229.18 (3.22)	250.55 (3.31)	09
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	332.82 (5.60)	551.06 (8.23)	371.67 (5.28)	360.79 (5.08)	487.08 (6.43)	35
6.	अन्य	491.95 (8.28)	497.97 (7.44)	488.86 (6.94)	480.26 (6.76)	420.23[6] (5.55)	-12
कुल		**5,940.16**	**6,695.81**	**7,039.05**	**7,107.67**	**7,575.61**	**07**
गत वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि		**16**	**12.72**	**5.13**	**0.97**	**6.35**	
पांच वर्षों हेतु वृद्धि दर तथा समग्र औसत वृद्धि दर							**6,871.66/ 8.23**

स्रोत: वित्त लेखे

[5] राज्य वस्तु एवं सेवा कर के आंकड़े वर्ष 2017-18 के केवल नौ मास के लिए तथा वर्ष 2018-19 के 12 मास हेतु है। अत: तुलना नहीं की गई है।

[6] अन्य प्राप्तियां भू-राजस्व: ₹ 8.39 करोड़, माल एवं यात्री पर कर : ₹ 104.38 करोड़ तथा अन्य वस्तु एवं सेवाओं पर कर एवं शुल्क: ₹ 307.46 करोड़।

वर्ष-वार कर राजस्व प्राप्तियों को प्रवृत्ति के **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1.2

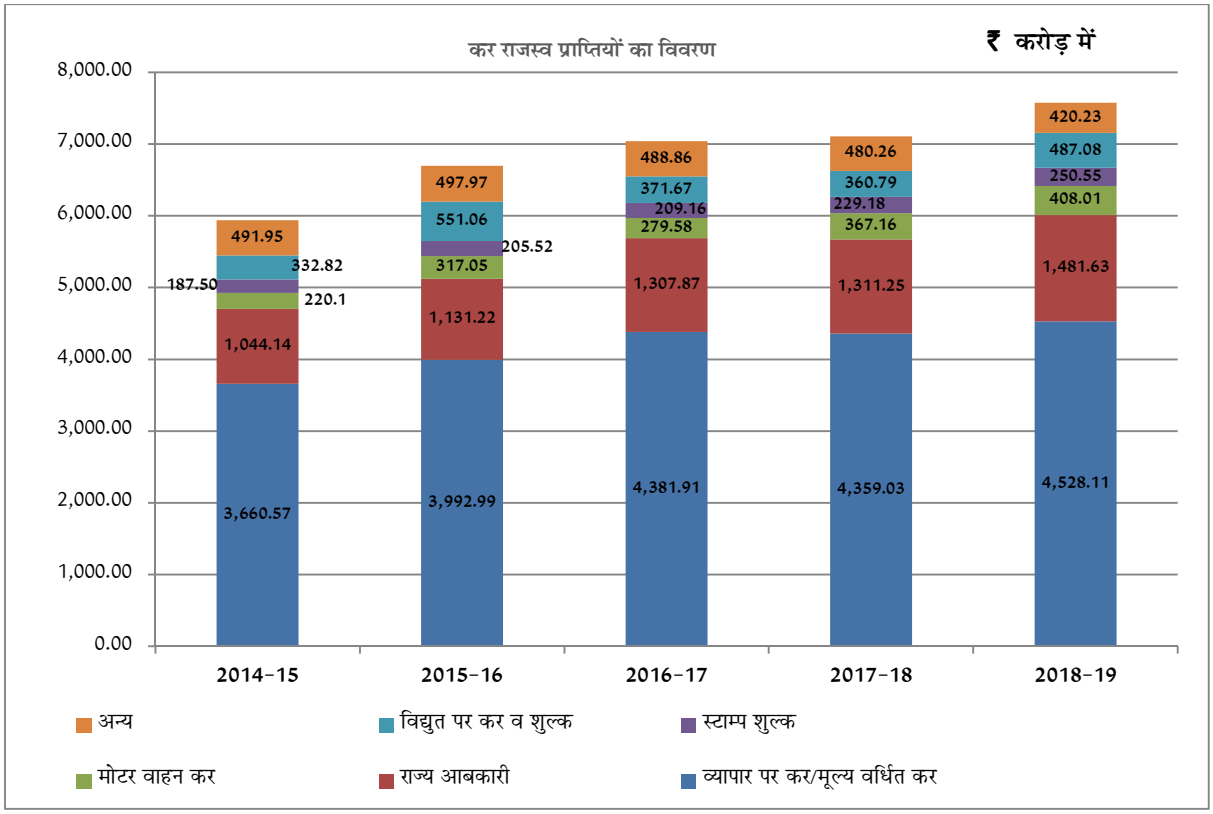

स्त्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान 8.23 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर के साथ कर राजस्व में ₹ 1,635.45 करोड़ (27.53%) की वृद्धि हुई। यद्यपि 2018-19 हेतु 6.35 *प्रतिशत* की वृद्धि दर मुख्यत: 2018-19 के दौरान बिक्री कर की वार्षिक वृद्धि दर 3.87 *प्रतिशत* तक घटने के कारण हुई जो कि वस्तु व सेवा कर लागू होने से पूर्व 9.08 *प्रतिशत* थी।

वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:-

- **राज्य आबकारी:** वृद्धि मुख्यत: लाइसेंस फीस एवं आबकारी शुल्क का त्रैमासिक संग्रहण तथा आबकारी नीति 2018-19 को अच्छे ढंग से लागू करने के कारण हुई।
- **मोटर वाहन कर:** संग्रह में वृद्धि मुख्य रूप से अधिक संख्या में वाहनों के पंजीकरण, बेहतर प्रर्वतन, समग्र शुल्क के पुनरीक्षण तथा ड्राइविंग लाइसेंस व जारी किए गए पसंदीदा नम्बरों में वृद्धि के कारण हुई।
- **विद्युत पर कर एवं शुल्क:**वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि का कारण हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा बकाया करों/राशि का भुगतान करना है।
- **यात्री एवं माल कर:** कमी मुख्यत: जुलाई 2018 से हिमाचल प्रदेश माल एवं यात्री कर अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सभी प्रकार के धागे (ऊनी धागे को छोड़कर), इस्पात एवं स्टील तथा प्लास्टिक सामान पर अतिरिक्त माल कर में 25 *प्रतिशत* की कटौती के कारण थी।

1.1.3 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जुटाए गए कर भिन्न राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.3: जुटाया गया कर-भिन्न राजस्व के विवरण

₹ करोड़ में

क्रम संख्या	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां (कुल कर-भिन्न प्राप्तियों की प्रतिशतता)					2018-19 में 2017-18 की वास्तविक प्राप्तियों से अधिक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1.	विद्युत	1,121.51 (53.88)	923.68 (50.28)	650.93 (37.91)	687.61 (29.09)	1,134.34 (40.08)	65
2.	ब्याज प्राप्तियां	100.93 (4.85)	93.84 (5.11)	145.56 (8.48)	340.54 (14.41)	385.88 (13.64)	13
3.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	161.52 (7.76)	155.08 (8.44)	176.22 (10.26)	441.46 (18.68)	221.05 (7.81)	-50
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	115.78 (5.56)	34.47 (1.88)	18.50 (1.08)	46.87 (1.98)	76.32 (2.70)	63
5.	लोक निर्माण कार्य	34.13 (1.64)	43.00 (2.34)	54.60 (3.18)	55.87 (2.36)	69.92 (2.47)	25
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	35.57 (1.71)	32.81 (1.79)	42.63 (2.48)	40.45 (1.71)	51.34 (1.81)	27
7.	पुलिस	39.83 (1.91)	48.53 (2.64)	50.50 (2.94)	63.33 (2.68)	72.89 (2.58)	15
8.	अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां[7]	472.18 (22.69)	505.74 (27.53)	578.30 (33.68)	687.72 (29.09)	818.30 (28.91)	19
योग		**2,081.45**	**1,837.15**	**1,717.24**	**2,363.85**	**2,830.04**	**20**

स्रोत: वित्त लेखे

2014-15 से 2018-19 के दौरान कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति को नीचे दिये गये **चार्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1.3

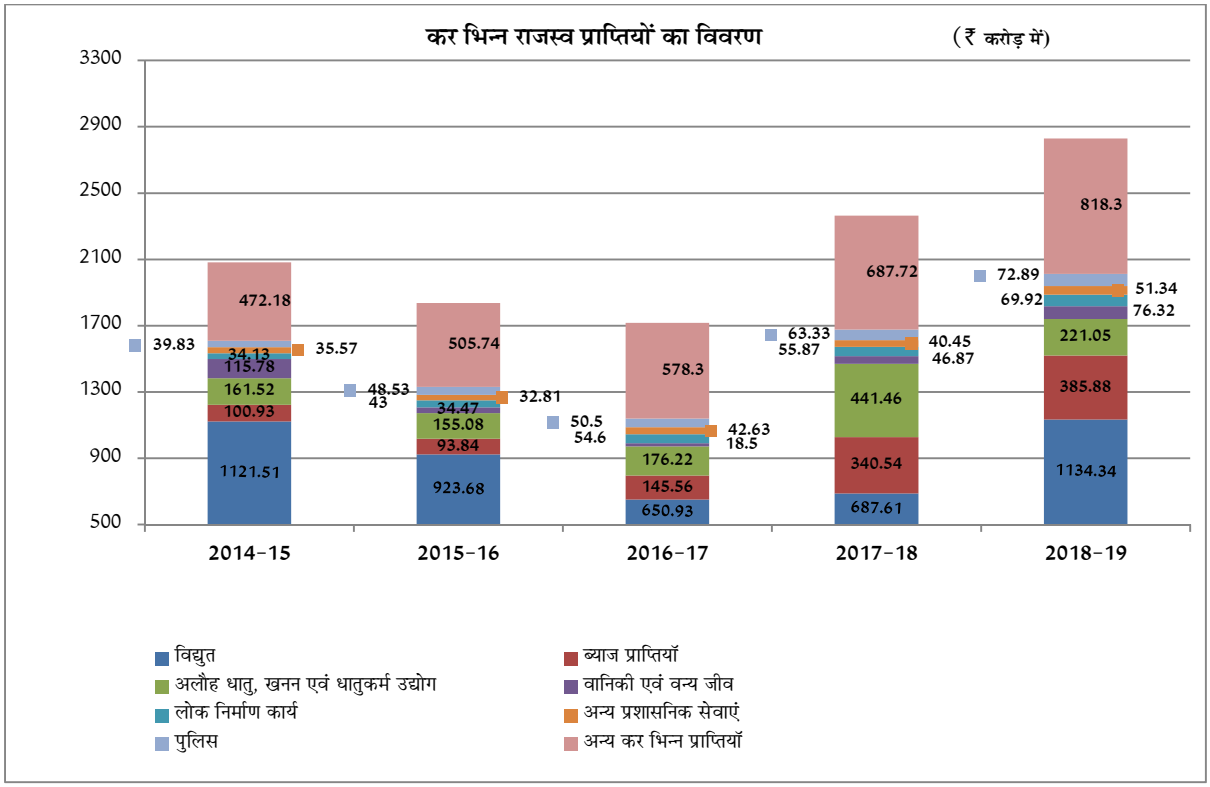

स्रोत: वित्त लेखे

[7] अन्य कर भिन्न राजस्व के विवरण ***परिशिष्ट-1.2*** में दिया गया है।

2017-18 में ₹ 2363.85 करोड़ की समग्र कर-भिन्न राजस्व प्रप्तियां 2018-19 में बढ़कर ₹ 2,830.04 करोड़ (20 *प्रतिशत*) हो गई। कर-भिन्न राजस्व में मुख्यत: विद्युत (40.08 *प्रतिशत*) ब्याज प्राप्तियां (13.64 *प्रतिशत*) तथा अलौह, खनन एवं धातु कर्म उद्योग (7.81 *प्रतिशत*) मुख्य योगदानकर्ता हैं तथा समग्र रूप में कर भिन्न राजस्व में 61.53 *प्रतिशत* योगदान करते हैं।

सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्ष के दौरान भिन्नता के लिए निम्नलिखित कारण सूचित किए:-

- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** वृद्धि मुख्यत: राज्य वन निगम द्वारा इमारती लकड़ी/लकड़ी आदि की बिक्री पर रायल्टी की अधिक राशि की वसूली के कारण थी।

- **लोक निर्माण कार्य :** आवासीय एवं गैर आवासीय तथा विश्राम गृह/परिधि गृह के किरायों में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि हुई।

- **गृह सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा:** विभाग के पुराने वाहनों को अनुपयोगी घोषित करने के कारण वृद्धि हुई।

- **पुलिस:** सुरक्षा हेतु रेलवे पुलिस द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबन्धन परिषद् से वसूली तथा शिमला में प्रतिबंधित मार्गों पर वाहनों को चलाने के लिए परमिट जारी करने के कारण वृद्धि हुई।

- **शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति:** प्राप्तियों में कमी मुख्यत: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य परियोजना निदेशक से प्रतिपूर्ति की प्राप्ति न होने तथा अधिक अदायगियों की कम वसूली के कारण थी।

- **अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** उप-मुख्य शीर्ष निर्वाचन (47 *प्रतिशत*) में अधिकतर वृद्धि राज्य सरकार द्वारा करवाए गए लोकसभा चुनाव 2019 हेतु अधिक प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के कारण थी।

- **अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग:** 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कमी का कारण यह है कि मैसर्ज अल्ट्राटैक सीमेंट कम्पनी द्वारा 2017-18 में खनन पट्टे के ₹ 208.92 करोड़ जमा करवाए थे।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण सूचित नहीं किए (नवम्बर 2020)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2019 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में वसूली योग्य राजस्व बकाया की राशि ₹ 4,216.87 करोड़ थी जिसमें से ₹ 415.22 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

₹ करोड़ में

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	31 मार्च 2019 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्यवर्धित कर	3,390.36	145.91	हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिकतर मामलों को भू-राजस्व बकाया के रूप में घोषित किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निर्धारण प्राधिकारियों को बकाया राशि की वसूली हेतु त्वरित प्रयास करने के निर्देश दिए गए है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में राशि की वसूली हेतु कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। बकाया राशि की वसूली हेतु सभी प्रयास किए जा रहे है।
2.	राज्य आबकारी	256.25	12.70	
3.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	84.35	24.83	
4.	माल एवं वाहन पर कर	7.07	6.60	
5.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं लघु सिंचाई	310.28	198.79	₹ 229.64 करोड़ नगर निगम शिमला से बकाया है। विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए है। ग्राम राजस्व अधिकारी तथा फील्ड स्टाफ की कमी के कारण बकाया राशि की वसूली नहीं की गई थी।

6.	**विद्युत पर कर एवं शुल्क**	16.95	0	देय विद्युत शुल्क का समायोजन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर हुई प्राप्तियों के साथ किया जा रहा है।
7.	**वानिकीएवं वन्य प्राणी**	116.45	18.78	₹ 113.68 करोड़ हिमाचल प्रदेश राज्य विकास निगम सीमित एवं अन्य सरकारी विभागों से वसूल योग्य थे। ₹ 2.77 करोड़ ठेकेदारों से वसूली योग्य थे जिसमें से कुछ मामलों में मुकद्दमे चल रहे थे तथा अन्य राज्य सरकार को बट्टे खाते में डालने हेतु प्रेषित किए थे।
8.	**पुलिस**	24.26	4.91	₹ 14.15 लाख का बकाया मैसर्ज अल्ट्राटैक सीमेंट लिमिटेड बग्गा जिला सोलन, ₹ 3.86 लाख का बकाया मैसर्ज पटेल इंजीनियर कुल्लू से सम्बन्धित था तथा शेष सरकारी विभागों/उपक्रमों को पुलिस बल प्रदान करने से सम्बन्धित था।
9.	**ग्राम एवं लघु उद्योग**	0.05	0.02	बकाया, वर्ष 1980-81 से संचित था। बकाया शेड के किराए (औद्योगिक सम्पदा), सरकारी आवास के किराए व शहतूत के पौधों की बिक्री से प्राप्ति आदि से सम्बन्धित था।
10.	**मुद्रण एवं लेखन सामग्री**	5.18	0.38	₹ 1.16 करोड़ का बकाया निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य महिला एवं बाल विकास, ₹ 1.07 करोड़ राज्य परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, लाल पानी, ₹ 32.46 लाख मुख्य अभियन्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा ₹ 2.62 करोड़ का बकाया अन्य उद्योगों/विभागों/निगमों से वसूली से सम्बन्धित था।
11.	**अलौह, खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग**	0.93	0.61	बकाया वर्ष 1970-71 से संचित था। बकाया खनन कार्यालयों एवं भू-वैज्ञानिक विंग निदेशालय के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) से रॉयल्टी की वसूली /ड्रिलिंग प्रभारों आदि से सम्बन्धित थे।
12.	**लोक निर्माण कार्य**	0.23	0.15	बकाया आवासीय व गैर आवासीय भवनों के किराए से सम्बन्धित था।
13.	**उद्योग**	4.52	1.54	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित था। बकाया भू-खण्ड (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बन्धित था।
योग		**4,216.87**	**415.22**	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 कर निर्धारण में बकाया

बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, विलास कर तथा कार्य-संविदाओं पर करों के सम्बन्ध में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामले, निपटाए गए मामले तथा वर्ष के अन्त में अन्तिम रूप देने के लम्बित मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	अथशेष	2018-19 के निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	2018-19 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अन्त तक शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	2,15,448	13,134	2,28,582	57,193	1,71,389	25
विलास कर	3,971	870	4,841	1,029	3,812	21
निर्माण कार्यों पर कर	1,124	493	1,617	482	1,135	30
मोटर स्पिरिट कर	28	27	55	25	30	45

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बकाया की विशाल तथा बढ़ती हुई मात्रा के कारण निपटान (21 *प्रतिशत* विलास कर और 25 *प्रतिशत मूल्य वर्धित कर के मामले में*) की निम्न प्रतिशतता एक गंभीर चिंता का विषय था। विभाग ने बताया कि प्रत्येक जिले द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को निर्धारित करके मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर व्यवस्था के अन्तर्गत लम्बित मामलों के निपटान हेतु विश्व बैंक के साथ हुए करार के अनुसार निर्धारण के बकाए प्रक्रियाधीन/पूर्ण किए जाएंगे।

विभाग मूल्य वर्धित कर निर्धारण के तहत निपटान हेतु आवश्यक कदम उठाए क्योंकि अब इनका विलय वस्तु एवं सेवा कर में हो गया है।

1.4 कर का अपवंचन

विभिन्न विभागों द्वारा उजागर किए गए कर अपवंचन के मामले, निर्णीत मामले तथा विभाग द्वारा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्रमांक	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2018 तक लम्बित मामले	2018-19 के दौरान उजागर मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2019 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	111	954	1,065	1,000	9.96	65
2.	राज्य आबकारी	27	779	806	734	2.02	72
3.	यात्री एवं माल कर	28	14,035	14,063	14,027	5.41	36
4.	पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	5	872	877	870	1.25	7
5.	भू- राजस्व	1,852	125	1,977	528	49.49	1,449
कुल		**2,023**	**16,765**	**18,788**	**17,159**	**68.13**	**1,629**

स्रोत: विभागीय आंकड़े

आबकारी एवं कराधान विभाग में वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अंतिम रूप देने के लिए कुल 171 लम्बित मामले वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत तक बढ़कर 180 हो गए। विभाग ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लम्बित मामलों को कम करने हेतु सभी प्रयास किए जा रहे थे। तथापि, राज्य में जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर प्रभावी रूप से लागू करने के कारण राज्य में वस्तु एवं सेवा कर को शुरू करने पर अधिक जोर दिया गया था।

1.5 प्रतिदाय मामले

वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में लम्बित प्रतिदाय मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय तथा वर्ष 2018-19 के अन्त तक लम्बित मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.7: लम्बित प्रतिदाय मामले

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे**	41	4.95	15	1.03
2.	**वर्ष के दौरान प्राप्त दावे**	124	34.77	107	19.04
3.	**वर्ष के दौरान किया गया प्रतिदाय**	117	28.21	99	18.99
4.	**वर्ष की समाप्ति पर शेष बकाया**	48	11.51	23	1.08

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त तक बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर तथा राज्य आबकारी दोनों से संबंधित बकाया मामलों की संख्या में, उन मामलों की तुलना में जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में बकाया थे, वृद्धि हुई थी, जो कि पिछले वर्ष के दौरान 81.45 *प्रतिशत* के निपटान की तुलना में 75.26 *प्रतिशत* की कम निपटान दर के कारण थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेन-देनों की नमूना-जांच करने तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई निरीक्षण के दौरान उजागर की गई अनियमिताओं को सम्मिलित किए जाने वाले तथा मौके पर न निपटाए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा की जाती है जिन्हें अगले उच्च प्राधिकारियों को इसकी प्रतियों सहित निरीक्षण कार्यालयों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु भेजा जाता है। कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में अन्तर्विष्ट अभियुक्तियों की अनुपालना करना आवश्यक है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

मार्च 2019 तक जारी किये गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चलता है कि 2,742 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 8,439 लेखापरीक्षा आपत्तियों में जून 2019 के अन्त में ₹ 2209.43 करोड़ से अन्तर्ग्रस्त राशि बकाया थी, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिए तत्सम्बधी आंकड़ों सहित **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2017	जून 2018	जून 2019
निपटान हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,582	2,660	2,742
बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	7,764	7,924	8,439
अन्तर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,817.56	1,958.98	2,209.43

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या, समायोजन हेतु लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा कुल मुद्रा मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है।

30 जून 2019 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागवार विवरण तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि **तालिका 1.9** में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	**आबकारी एवं कराधान**	बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	146	1,055	453.90
		राज्य आबकारी	64	308	333.45
		यात्री व माल कर	186	426	231.89
		पदार्थों एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	126	159	6.70
		मनोरंजन एवं विलास कर	65	124	21.80
2.	**राजस्व**	भू-राजस्व	219	413	169.05
		स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	675	1,532	64.09
3.	**परिवहन**	मोटर वाहन कर	716	2,709	303.8
4.	**वानिकी एवं वन्य जीवन**	वन प्राप्तियां	545	1,713	624.75
कुल			**2,742**	**8,439**	**2,209.43**

स्रोत: निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 के दौरान जारी किए गए 164 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 57 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों से चार सप्ताह की निर्धारित अवधि के बाद लेखापरीक्षा को प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना कि क्या निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है तथा गैर-अनुपालना, व्यवस्थागत कमियों एवं विफलताओं के मामलों को उजागर करना है। निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निपटान हेतु लम्बित

लेखापरीक्षा आपत्तियों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को इंगित करती है। इन लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाता है तथा राजस्व की हानि के जोखिम को बढ़ाता है। लेखापरीक्षा द्वारा लगातार उठाए जा रहे मामलों के निपटान तथा लम्बित लेखापरीक्षा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति हेतु सरकार का तत्काल ध्यान आकर्षित करती हैं।

1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों के पर्यवेक्षण तथा निपटान में तीव्रता लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया था। वर्ष 2018-19 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए परिच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लम्बित परिच्छेदों की संख्या	निपटाये गये परिच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	**आबकारी एवं कराधान**	1	1,826	167	0.36
	राजस्व	1	1,826	32	0.2
	यातायात	1	2,598	47	1.04
2.	**वन**	1	1,633	9	0.43
कुल		**4**	**7,883**	**255**	**2.03**

स्रोत: राजस्व एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र, शिमला

2018-19 के दौरान आयोजित राजस्व एवं वन विभागों की चार लेखापरीक्षा समिति बैठकों में लम्बित 7,883 परिच्छेदों में से ₹ 2.03 करोड़ से अन्तर्गत 255 परिच्छेदों (3.23 *प्रतिशत*) का समायोजन किया गया।

सरकार सभी विभागों में नियमित अन्तराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करें।

1.6.2 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करें। विभागों/सरकारों से उत्तरों की प्राप्ति न होने के मुद्दे को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अन्त में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

27 प्रारूप परिच्छेद जुलाई 2019 तथा जुलाई 2020 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को भेजे गये थे, जिसमें से 23 परिच्छेदों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। स्वीकृत मामलों में वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी जिसे चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई - सारांशित स्थिति

लोक लेखा समिति ने अधिसूचित किया (दिसम्बर 2002) कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, इन प्रावधानों के बावजूद भी प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियों में असाधारण विलम्ब था। हिमाचल प्रदेश सरकार के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राजस्व क्षेत्र पर 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 तथा 2018 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 112 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 10 अप्रैल 2015 तथा 14 दिसम्बर 2019 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। तथापि, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु सम्बन्धित विभागों से इन परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां क्रमशः 12,24,12 एवं 16 मास के औसत विलम्ब सहित बहुत देर से प्राप्त हुई थी। लोक लेखा समिति ने वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2013-14) से सम्बन्धित 7 परिच्छेदों पर चर्चा की थी।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: परिवहन विभाग की विस्तृत स्थिति

मुख्य प्राप्ति शीर्ष *'0041-मोटर वाहन कर'* के अन्तर्गत परिवहन विभाग हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा अनुवर्ती परिच्छेदों **1.7.1** से **1.7.3** में विवरणित हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदन

पिछले 10 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग से सम्बन्धित जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति, 31 मार्च 2019 तक इन निरीक्षण प्रतिवेदनों, में सम्मिलित परिच्छेद तथा उनकी संक्षिप्त स्थिति को ***परिशिष्ट-1.3*** में दर्शाया गया है:

वर्ष 2009-10 के प्रारंभ में 1,910 परिच्छेदों सहित 619 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की तुलना में 2018-19 के अन्त तक 2,694 परिच्छेदों सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या बढ़कर 722 हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित किया गया तत्सम्बधी मुद्रा मूल्य ₹ 28.53 करोड़ से बढ़कर ₹ 312.29 करोड़ हो गया।

1.7.2 स्वीकृत मामलों की वसूली

परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा वसूल की गई राशि की स्थिति ***परिशिष्ट 1.4*** में दर्शायी गई है:

वसूली की प्रगति स्वीकृत मामलों में भी बहुत धीमी थी, क्योंकि 31 मार्च 2019 तक स्वीकृत परिच्छेदों में ₹ 179.88 करोड़ के कुल वसूली योग्य राजस्व के प्रति केवल ₹ 84.25 करोड़ (47 *प्रतिशत*) ही वसूल किए गये थे।

परिवहन विभाग द्वारा स्वीकार किए गए मामलों की वसूली तथा वसूल की गई राशि को नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट: 1.4

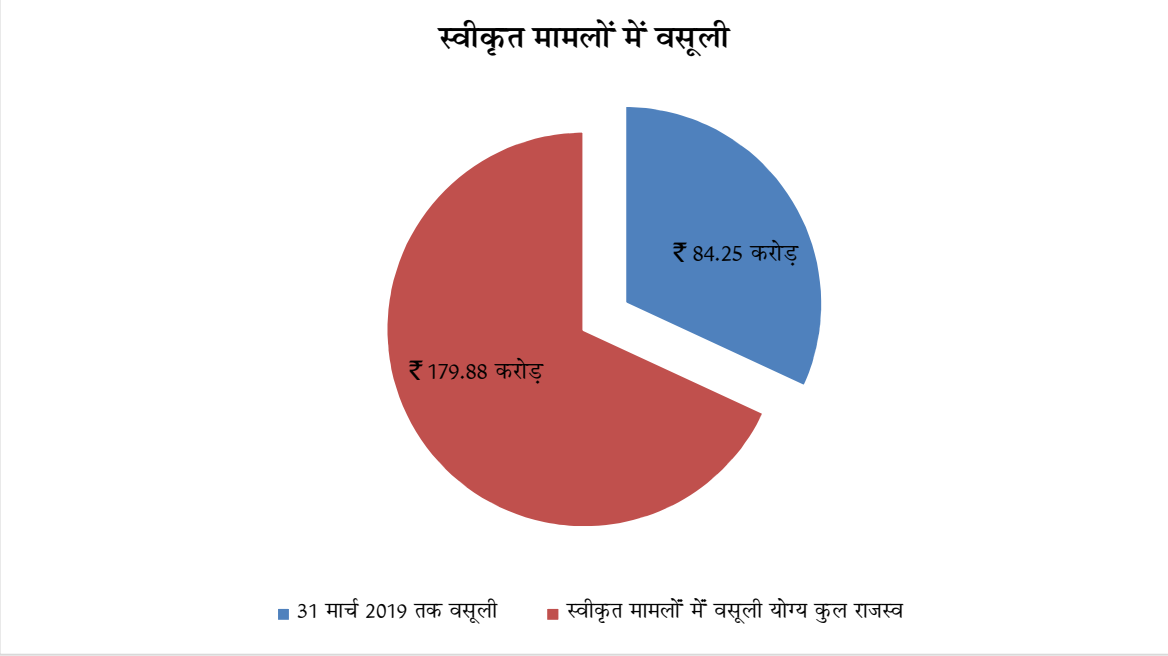

स्रोत: लोक लेखा समिति, राजस्व क्षेत्र, शिमला

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अधीन आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष को अधिनियमों तथा नियमों के प्रावधानों के तथा समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना जांच करना अपेक्षित था।

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	9	03	06
राजस्व	169	20	15	05
परिवहन	06	06	06	0
वन	**आन्तरिक लेखापरीक्षा कक्ष नहीं था।**			

स्रोत: विभागीय आंकड़े

आबकारी एवं कराधान विभाग तथा राजस्व विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण स्टॉफ की कमी बताया। परिवहन विभाग द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई जबकि वन विभाग ने बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष का विभाग में गठन नहीं किया गया था।

1.9 लेखापरीक्षा योजना तथा लेखापरीक्षा परिणाम

हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल 383 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थी जिनमें से वर्ष 2018-19 के दौरान अभिलेखों की नमूना जांच द्वारा बिक्री कर /मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल व यात्री कर तथा वन प्राप्तियों की 166 इकाईयों[8] की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाईयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था।

विभागों की कार्य पद्धति में पाई गई मुख्य कमियों में छिपाई गई बिक्री एवं खरीद का पता लगाने में विफलता; निवेश कर क्रेडिट का अवनिर्धारण/गलत छूट देना; कर की गलत दर को लागू करना; निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आबकारी शुल्क, लाइसेंस फीस तथा ब्याज की अल्प वसूली; स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्प उद्ग्रहण, उप-पंजीकारों द्वारा सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण; परिवहन विभाग द्वारा टोकन कर, विशेष सड़क कर, समेकित फीस की अल्प वसूली; आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा यात्री एवं वस्तु कर की वसूली न करना तथा वन विभाग द्वारा रॉयल्टी एवं विस्तार फीस की अल्प वसूली शामिल थी। 2018-19 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कमियों के कारण 1,168 मामलों में कुल ₹ 297.10 करोड़[9] की राशि के राजस्व की हानि हुई थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सम्बन्धित विभागों ने 860 मामलों में ₹ 18.59 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया, जिसमें से 188 मामलों में ₹ 3.92 करोड़ गत वर्ष की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सम्बन्धित थे। विभाग ने 195 मामलों में ₹ 2.72 करोड़ की वसूली भी की जिनमें से पिछले वर्ष के 188 मामलों के ₹ 2.69 करोड़ तथा शेष राशि चालू वर्ष के निष्कर्षों से सम्बन्धित थी।

1.10 प्रतिवेदन में सम्मिलित राजस्व अध्याय

इस प्रतिवेदन के राजस्व अध्याय में कुल ₹ 173.63 करोड़ के कुल राजस्व निहितार्थ युक्त 23 परिच्छेद शामिल हैं। विभागों/सरकार ने ₹ 77.45 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया जिसमे से 09 मामलो में ₹ 0.40 करोड़ वसूल किए गए थे।

---

[8] इन इकाईयों में आबकारी, परिवहन व राजस्व विभाग की सर्वोच्च स्तर की तीन इकाईयां, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के कार्यालय की एक इकाई आर्थिक खुफिया इकाई (ये चार निरीक्षण प्रतिवेदन जारी नहीं किए गए), विलासिता कर इकाई, मनोरंजन कर, टोल कर एवं बहुउद्देशीय चुंगी तथा वन विभाग।

[9] बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर: राशि ₹ 71.15 करोड़: मामले: 316; राज्य आबकारी: राशि: ₹ 109.66 करोड़: मामले: 72; स्टाम्प शुल्क: राशि: ₹ 10.65 करोड़: मामले:305; वाहन यात्री एवं माल: राशि ₹ 86.87 करोड़, मामले: 411; वन प्राप्तियां: राशि: ₹ 18.77 करोड़: मामले: 64